कार्यालय आयुक्त भू–अभिलेख छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

इन्द्रावती भवन, प्रथम तल, ब्लॉक नं.–02

//आदेश//

क्रमांक/130/आ.भू.अ./स्था–2/2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07.03.2025

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के आदेश कमांक/119/भू.अ./मु.लि./2021 दिनांक 28.07.2021 द्वारा श्री मुकेश साहू, राजस्व निरीक्षक, रा.नि.मं. विजयपुर, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर के द्वारा पूर्व में पटवारी हल्का नं.–45 सकरी, तहसील–तखतपुर पर पदस्थ रहने के दौरान अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी कोटा के भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 85/अ–82/वर्ष 2017–18 में अनियमितता किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की जांच हेतु जिलास्तर पर समिति गठित की गई।

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन दिनांक 24.07.2021 के अनुसार गंभीर अनियमितताएं पाये जाने से श्री मुकेश साहू, तत्कालीन पटवारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा किये जाने के कारण पत्र क्रमांक 1233 दिनांक 26.07.2021 के द्वारा श्री मुकेश साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। श्री मुकेश साहू, राजस्व निरीक्षक द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब समाधान कारक नहीं होने के कारण इन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–9 के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।

2/ कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक/175/भू.अ./स्था.–1/2021 दिनांक 25.10.2021 के द्वारा श्री मुकेश साहू, राजस्व निरीक्षक (निलंबित) रा.नि.मंडल विजयपुर, तहसील तखतपुर, जिला बिलासपुर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी कोटा, जिला बिलासपुर के भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 85/अ–82/2017–18 में चार परस्पर भिन्न–भिन्न रकबा दर्शाते हुए एवं विरोधाभासी प्रतिवेदन दिये जाने तथा बटांकित खसरा नंबरों को बिना सक्षम अधिकारी के मर्ज किये जाने संबंधी अनियमितता किये जाने से प्रथम दृष्ट्या दोषी होने के कारण इनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–14 के अंतर्गत विभागीय जांच संस्थित की गई।

उक्त आदेश के पैरा 2 एवं 3 अनुसार छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–14 (5)(क) के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला कार्यालय बिलासपर को जांचकर्ता अधिकारी तथा नियम–14 (5)(ग) के अंतर्गत श्री महेश शर्मा, डिप्टी कलेक्टर, बिलासपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करते हुए विभागीय जांच की कार्यवाही हेतु आरोप पत्र, आरोप का विवरण, गवाहों की सूची, अभिलेखों/दस्तावेजों की सूची सहित प्रेषित किया गयां।

3/ श्री मुकेश साहू, राजस्व निरीक्षक, रा.नि.मं. विजयपुर, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर के विरूद्ध निम्नानुसार आरोप अधिरोपित किया गया –

आरोप क्रमांक–1 – श्री मुकेश साहू, तत्कालीन पटवारी हल्का नंबर 45 सकरी, तहसील सकरी में पदस्थापना के दौरान भू–अर्जन प्रकरण क्र./85/अ–82/2017–18 में इनके द्वारा उक्त प्रकरण में 04 बार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जो परस्पर विरोधाभासी है एवं रकबों में भी भिन्नता है। जिसके कारण भू–अर्जन में की जाने वाली भूमि का मुआवजा बनाने एवं उसके वितरण में विसंगति उत्पन्न हुई।

आरोप क्रमांक–02 – ग्राम सकरी महल नंबर 03, खसरा नंबर 01, 09 तथा 10 में हुए बटांकन को बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश से मर्ज कर भू–नक्शा पोर्टल में मूल नंबर दर्शाया गया।

4/ कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के आदेश कमांक/185/भू.अ./मु.लि./2022 दिनांक 21.10.2022 द्वारा कार्यालयीन व्यवस्था के दृष्टिगत श्री मुकेश साहू, राजस्व निरीक्षक को निलंबन से बहाल किया गया।

5/ विभागीय जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रकरण विधिवत दर्ज किया जाकर प्रस्तुतकर्ता अधिकारी डिप्टी कलेक्टर, बिलासपुर एवं अपचारी सेवक को प्रारंभिक सुनवाई हेतु दिनांक 10.11.2022 को आहुत किया गया।

6/ अपचारी सेवक से आरोप के संबंध में जवाब चाहा गया। अपचारी सेवक ने आदेश पत्रिका दिनांक 10.11.2022 अनुसार लिखित कथन देते हुए लगाये गये आरोपों से इंकार करते हुए विभागीय जांच चाही। तदोपरांत प्रकरण शासकीय साक्षियों के साक्ष्य एवं प्रति परीक्षण हेतु नियत किया गया।

7/ विभागीय जांच अधिकारी, जिला–बिलासपुर द्वारा श्री मुकेश साहू, राजस्व निरीक्षक के विरूद्ध अधिरोपित आरोप के संबंध में साक्षियों का कथन लिया गया। तत्पश्चात् अपचारी कर्मचारी श्री मुकेश साहू, राजस्व निरीक्षक को बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण नियत किया गया। श्री मुकेश साहू, राजस्व निरीक्षक द्वारा विभागीय जांच अधिकारी के समक्ष बचाव साक्षी दस्तावेज प्रस्तुत करने दिनांक 09.01.2025 को उपस्थित हुए।

8/ विभागीय जांच अधिकारी, जिला–बिलासपुर द्वारा उक्त प्रकरण में साक्षियों के कथन व अपचारी कर्मचारी के बचाव साक्ष्य तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन व परिशीलन उपरांत अपचारी कर्मचारी पर लगाये गये आरोप की पुष्टि होना प्रतिवेदित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अरपा–भैंसाझार परियोजना के अंतर्गत चकरभांठा वितरक नहर निर्माण में अधिग्रहित भूमि ग्राम सकरी, खसरा नं. 1/6 या 1/4 के अर्जन एवं व्यपवर्तन के संबंध में संलग्न खसरा पांचसाला वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक में वर्ष 2013–14 के कॉलम में वर्ष 2019–20 लिखकर खसरा नंबर 1/4 रकबा 0.90 एकड़ व्यावसायिक परिवर्तित भूमि दर्ज किया गया है। खसरा पांचसाला वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 तक में वर्ष 2016–17 में खसरा नंबर 1/4 रकबा 0.90 एकड़ प्रिंटेड दर्ज है, जिसे नीली स्याही से दुरूस्ती कर रकबा 0.40 एकड़ किया गया है एवं नया खसरा नंबर 1/6 रकबा 0.50 एकड़ नया खसरा बटांकित किया गया है। अर्जित किये जाने वाली भूमि का प्रारंभिक प्रकाशन धारा 11, 19 अधिसूचना में खसरा नंबर 1/4 या 1/6 सम्मिलित नहीं था। धारा 12 में खसरा नंबर 1/4 एवं 1/6 का उल्लेख नहीं है। अपचारी कर्मचारी श्री मुकेश साहू ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 22.07.2019 द्वारा खसरा नंबर 1/4 रकबा 0.01 एकड़ एवं 1/6

रकबा 0.15 एकड़ को प्रभावित बताया है। बाद के प्रतिवेदन में खसरा नंबर 1/4 में अर्जित रकबा को 0.03 एकड़ एवं खसरा नंबर 1/6 को व्यववर्तित भूमि रकबा 0.26 एकड़ बताया है। तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा एवं अवार्ड पत्रक में हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों द्वारा रिपोर्ट/तथ्यों का परीक्षण किये बगैर एवं बगैर विधिवत सूचना व प्रकाशन के अरपा–भैंसाझार परियोजना के अंतर्गत चकरभाठा वितरक नहर का अवार्ड पत्रक भू–अर्जन पत्रक–22 (मुआवजा देयक पत्रक) में खसरा नंबर 1/4 अर्जित रकबा 0.03 एकड़ (सिंचित दुफसली/अन्य पहुंच मार्ग के साथ मकान निर्मित बताया जाकर) के विरूद्ध मुआवजा राशि रूपये 37,37,871/– एवं खसरा नंबर 1/6 अर्जित रकबा 0.26 एकड़ भूमि के विरूद्ध मुआवजा राशि रूपये 3,04,80,049/– श्री मनोज अग्रवाल, पिता श्री पवन अग्रवाल को भुगतान किया गया है। अभिलेख अवैधानिक रूप से सुधार किये जाने के कारण शासन को आर्थिक हानि हुई है और अनावश्यक रूप में मुआवजा के रूप में राशि रूपये 3,42,17,920/– का भुगतान किया गया है।

9/ कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला–बिलासपुर के पत्र क्रमांक/146/भू.अ./मु.लि./2025 दिनांक 03.02.2025 द्वारा श्री मुकेश साहू, राजस्व निरीक्षक, जिला–बिलासपुर के विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–14 के अधीन संस्थित विभागीय जांच में विभागीय जांच अधिकारी, जिला कार्यालय बिलासपुर के जांच प्रतिवेदन दिनांक 09.01.2025 के अनुसार अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप, साक्षियों एवं दस्तावेजों के आधार पर सिद्ध पाये जाने एवं शासन को 3,42,17,920/– रूपये की आर्थिक हानि होने से सहमत होते हुए छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के दीर्घ शास्ति/मुख्य शास्ति नियम–10 के कंडिका 8 एवं 9 के तहत् अपचारी कर्मचारी श्री मुकेश साहू को सेवा से पृथक किये जाने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

10/ कार्यालयीन पत्र क्रमांक/659/आ.भू.अ./स्था–2/2025 दिनांक 05.02.2025 द्वारा श्री मुकेश साहू, राजस्व निरीक्षक, कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला–बिलासपुर को विभागीय जांचकर्ता अधिकारी, जिला–बिलासपुर की रिपोर्ट दिनांक 09.01.2025 प्रेषित करते हुए उक्त संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन अथवा अनुरोध प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया गया था।

11/ श्री मुकेश साहू, राजस्व निरीक्षक, जिला–बिलासपुर द्वारा उक्त पत्र दिनांक 05.02.2025 के परिपेक्ष्य में अपना जवाब दिनांक 19.02.2025 इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों का दुहराव किया है, जिसे उसके द्वारा विभागीय जांच के दौरान जांचकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अपचारी के द्वारा चार भिन्न–भिन्न प्रतिवेदन भू–अर्जन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के कारण शासन को 3,42,17,920/– रूपये की आर्थिक हानि हुई है, जिसकी पुष्टि विभागीय जांच में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा दस्तावेजों के आधार पर की गई है। अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने बचाव में विभिन्न तर्क दिया गया है, किन्तु उसकी पुष्टि के संबंध में प्रमाणनस्वरूप स्पष्ट एवं वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

12/ अपचारी कर्मचारी श्री मुकेश साहू द्वारा यह आधार अपने बचाव हेतु प्रतिनिवेदन में अनुरोध किया है कि संचालक भू–अभिलेख, राजस्व निरीक्षक हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी हैं। कलेक्टर, बिलासपुर नियुक्तिकर्ता अधिकारी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 311 के अनुसार नियुक्तिकर्ता अधिकारी से निम्न पद पर धारित अधिकारी कार्यवाही करने हेतु असक्षम है। कलेक्टर बिलासपुर को मेरे संबंध में जांच किये जाने हेतु शासन द्वारा पृथक से अधिकृत नहीं किया गया है, इसलिए मेरे विरूद्ध की गई यह जांच पूर्णतः अवैधानिक एवं विधि विरूद्ध है।

13/ इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31.07.2021 द्वारा श्री मुकेश साहू, राजस्व निरीक्षक के निलंबन के संबंध में कलेक्टर, बिलासपुर के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के भाग–4 नियम 9(1) अनुसार संचालक भू–अभिलेख द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है।

14 इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04.08.2023 द्वारा श्री मुकेश साहू, तत्कालीन हल्का पटवारी सकरी, जिला–बिलासपुर के विरूद्ध मुख्य शास्ति अधिरोपित किये जाने की दशा में विभागीय जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने बावत् पत्र कलेक्टर, जिला–बिलासपुर को प्रेषित किया गया है।

15/ सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/सी–6–7/96/3/एक दिनांक 23.05.1996 अनुसार कलेक्टरों को उनके जिलों में पदस्थ सभी विभागों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (पुलिस कर्मियों को छोड़कर) को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत निलंवित करने एवं ऐसे कर्मचारियों पर उपरोक्त नियमों के नियम 10 के अंतर्गत लघु शास्ति अधिरोपित करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं।

16/ छत्तीसगढ़ भू–अभिलेख तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम 2014 के अनुसूची–पांच, स.क्र. 10 के अनुसार पटवारी पद हेतु नियुक्ति प्राधिकारी कलेक्टर है। अतः पटवारी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अनुसार कार्यवाही हेतु कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी है।

17/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1970 1 SCC 108, State of Madhya pradesh Vs Shardul Singh में पारित निर्णय अनुसार संविधान के अनुच्छेद 311(1) के अधीन नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी से भिन्न अधिकारी भी अनुमति पश्चात् विभागीय जांच संपादित कर सकता है एवं दण्ड हेतु सक्षम प्राधिकारी/नियुक्तिकर्ता अधिकारी को प्रेषित कर सकता है।

18/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 2003 4 SCC 670 State of U.P. & another Vs Chandrapal Singh & another में पारित निर्णय अनुसार संविधान के अनुच्छेद 311(1) यह कभी नहीं कहता है कि विभागीय जांच केवल नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा प्रारंभ की जावेगी।

19/ अतः उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपचारी श्री मुकेश साहू विभागीय जांच प्रारंभ किये जाने के समय राजस्व निरीक्षक था, किन्तु उसके द्वारा संपादित कार्य पटवारी कार्यकाल के थे एवं कलेक्टर बिलासपुर द्वारा उसके पटवारी के रूप में किये गये कार्य में पाये गये अनियमितता के संबंध में विभागीय जांच प्रारंभ की गई है, अतः वह उपरोक्तानुसार सक्षम प्राधिकारी है, कलेक्टर का उपरोक्त कृत्य कहीं से भी अधिकारितारहित नहीं है।

20/ राजस्व निरीक्षक हेतु नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी संचालक भू–अभिलेख है एवं संचालक द्वारा उपरोक्त वर्णित पत्रों के माध्यम से कलेक्टर, बिलासपुर को श्री मुकेश साहू के विरूद्ध कार्यवाही/विभागीय जांच किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः कलेक्टर द्वारा संपादित विभागीय जांच एवं प्रस्तावित दण्ड कहीं से भी अधिकारितारहित नहीं है।

21/ मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपरोक्तानुसार जारी पत्र दिनांक 1996 अनुसार कलेक्टर को पूर्व से ही अपचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने की अधिकारिता प्राप्त है। अपचारी कर्मचारी श्री मुकेश साहू को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार विभागीय जांच के प्रत्येक चरण पर विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अपचारी कर्मचारी श्री मुकेश साहू ने विभागीय जांच के प्रत्येक चरण पर स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है, साक्ष्य प्रस्तुत किया है, लिखित में निवेदन/तर्क प्रस्तुत किया है एवं इस कार्यालय द्वारा दण्ड आरोपित किये जाने से पूर्व प्रेषित सूचना पत्र पर भी विधिवत् प्रतिनिवेदन प्रस्तुत किया है। इस तरह से अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन प्रत्येक स्तर पर किया गया है।

22/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी उपरोक्त वर्णित दोनों प्रकरणों में अपचारी द्वारा लिये गये आधार का खण्डन ही किया है।

23/ अपचारी कर्मचारी श्री मुकेश साहू के कृत्यों से शासन को 3,42,17,920/– रूपये की आर्थिक हानि हुई है, जो विभागीय जांच में सिद्ध हुई है, जिसका खण्डन अपचारी कर्मचारी श्री मुकेश साहू नहीं कर पाया है।

24/ अतः कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला–बिलासपुर के पत्र क्रमांक/146/भू.अ./मु.लि./2025 दिनांक 03.02.2025 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं श्री मुकेश साहू, राजस्व निरीक्षक के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में जांच प्रतिवेदन दिनांक 09.01.2025 के अनुसार उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इनके विरूद्ध **छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–10(नौ)** की दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुए श्री मुकेश साहू, राजस्व निरीक्षक, रा.नि.मंडल बेलतरा, तहसील–बेलतरा, जिला–बिलासपुर को शासकीय सेवा से पदच्युत (dismissal) करता हूं, जो कि मामूली तौर पर शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्हता होगी।

संचालक
भू–अभिलेख छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर

पृ.क्रमांक/1157/आ.भू.अ./स्था–2/2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07.03.2025

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संभागायुक्त, बिलासपुर संभाग, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला–बिलासपुर के पत्र क्रमांक/146/भू.अ./मु.लि./2025 दिनांक 03.02.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। आदेश की प्रति संबंधित को तामील कराते हुए इस कार्यालय को अवगत करावें।
5. क्षेत्रीय उप आयुक्त भू–अभिलेख, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, जिला–बिलासपुर (छत्तीसगढ़) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. वरिष्ठ/जिला कोषालय अधिकारी, जिला–बिलासपुर (छत्तीसगढ़) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. श्री मुकेश साहू, राजस्व निरीक्षक, रा.नि.मंडल बेलतरा, तहसील–बेलतरा, जिला–बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

संचालक
भू–अभिलेख छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर